भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 776
दिनांक 02 दिसंबर, 2024

कच्चे तेल के आयात पर बढ़ती निर्भरता

776 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता में निरंतर वृद्धि के क्या कारण हैं, जिसे 2022 तक घटाकर 67 प्रतिशत करने के लक्ष्य के बावजूद, यह अप्रैल-जुलाई 2024 में 88.3 प्रतिशत तक बढ़ गई है;

(ख) कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) सरकार उच्च आयात निर्भरता से जुड़े आर्थिक जोखिमों, जैसे कि वैश्विक तेल की कीमत में अस्थिरता और व्यापार घाटे और मुद्रास्फीति पर इसके प्रभाव को किस प्रकार कम करने की योजना बना रही है; और

(घ) क्या सरकार ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अपने लक्ष्यों को संशोधित करने या नई पहल शुरू करने पर विचार कर रही है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): पिछले कुछ वर्षों में सतत आर्थिक विकास के कारण भारत की ऊर्जा खपत लगातार बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, परिवहन की ज़रूरतें, बुनियादी ढाँचा विकास, बढ़ती आय, बेहतर जीवन स्तर, आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच में वृद्धि के साथ-साथ निजी खपत और सकल स्थिर पूंजी निर्माण आदि में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल का आयात बढ़ रहा है। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां (ओपीएसयूज) घरेलू बाजार में आपूर्ति मांग के अंतर को कम करने के लिए कच्चे तेल का आयात करते हैं। आयात निर्भरता में वृद्धि मुख्य रूप से मांग वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य वृद्धि और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण मात्रा में वृद्धि के कारण होती है।

(ख) से (घ): सरकार घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के तहत नीति, 2014।
ii. खोजे गए छोटे क्षेत्र नीति, 2015।
iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016।
iv. पीएससी के विस्तार के लिए नीति, 2016 और 2017।
v. कोल बेड मीथेन के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीति, 2017।
vi. राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी की स्थापना, 2017।
vii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत तलछटी बेसिन में गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन।
viii. पूर्व-नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (प्री-एनईएलपी), 2016 और 2017 के तहत खोजे गए क्षेत्रों और अन्वेषण ब्लॉकों के लिए पीएससी के विस्तार के लिए नीति ढांचा।
ix. तेल और गैस के लिए उन्नत रिकवरी विधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति, 2018।
x. मौजूदा उत्पादन साझाकरण संविदाओं (पीएससी), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों, 2018 के तहत अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति ढांचा।
xi. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020।
xii. बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए श्रेणी II और III बेसिन के तहत ओएएलपी ब्लॉकों में चरण- I में कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) और कोई ड्रिलिंग प्रतिबद्धता नहीं।
xiii. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) 'नो-गो' क्षेत्र को छोड़ना जो दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध था।
xiv. सरकार भूमि और अपतटीय क्षेत्रों में भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण और स्ट्रेटीग्राफिक कूपों की ड्रिलिंग के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपये खर्च भी कर रही है, ताकि बोलीदाताओं को भारतीय तलछटी बेसिनों का गुणवत्तापूर्ण डेटा उपलब्ध कराया जा सके। सरकार ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से परे ऑनलैण्ड पर 20,000 एलकेएम और अपतटीय क्षेत्र में 30,000 एलकेएम के अतिरिक्त 2डी भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

सरकार, उपभोक्ताओं के लिए यथोचित और तर्कसंगत मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में दो बार नवंबर, 2021 और मई, 2022 में क्रमश: कुल 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी की है, जो उपभोक्ताओं को पूर्णतः प्रदान की गई थी जिसके परिणामस्वरुप घरेलु पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य क्रमश: 110.04 रुपए प्रति लीटर और 98.42 रुपए प्रति लीटर से घटकर नवंबर 2021 में क्रमशः 94.77 रुपए प्रति लीटर और 87.67 रुपए प्रति लीटर हो गए (दिनांक 18.11.2024 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली में मूल्य)। कतिपय राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत पहुँचाने के निमित्त राज्य वैट दरों को कम कर दिया था। मार्च, 2024 में ओएमसीज ने भी पूरे देश में पेट्रोल और डीजल, प्रत्येक के खुदरा मूल्यों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी।

भारत सरकार ने आम नागरिको को उच्च अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों से सुरक्षित रखने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर अप्रत्याशित कर, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि शामिल है। वर्तमान में पीएसयू ओएमसीज ने अंतर-राज्य भाड़े का युक्तिकरण किया है। इससे राज्यों के भीतर सुदूर भागों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के रुप में पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेंट (पोओएल) डिपो से दूर,सुदूर स्थानों में रहने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इस पहल ने राज्य में पेट्रोल या डीजल के अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के अंतर को भी कम कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने क्रूड ऑयल पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए एक बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की दिशा में देश भर में ईंधन/फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देकर मांग प्रतिस्थापन, एथेनॉल, दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल, संपीड़ित जैव गैस और बायोडीजल जैसे नवीकरणीय और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना, रिफाइनरी प्रक्रिया में सुधार, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना, विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास आदि शामिल है । सरकार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दे रही है। एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2023-24 के दौरान पेट्रोल का मिश्रण लगभग 14.6% तक पहुँच गया है और इसके परिणामस्वरूप ईएसवाई 2013-14 से ईएसवाई 2023-24 तक लगभग 1.09 लाख करोड़ रुपये की विदेशी विनिमय की बचत हुई है। ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल भी शुरू की गई है।
